

भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
(खेल विभाग)  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1633  
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025  
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

## भारतीय खेलों में आयु संबंधी धोखाधड़ी की घटनाएं

### †1633. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खेलों, विशेषकर आयु समूह प्रतियोगिताओं में आयु संबंधी धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं तथा इन आयोजनों की विश्वसनीयता के लिए इससे उत्पन्न चुनौतियों से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न खेलों में पहचाने गए ऐसे मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसमें दोषी पाए गए एथलीटों और अधिकारियों की संख्या, लगाए गए दंड या प्रतिबंध क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा आयु सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करने तथा जमीनी और पेशेवर, दोनों स्तरों, पर उक्त धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने आयु संबंधी धोखाधड़ी से निपटने में खेल महासंघों के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो क्या इस समस्या से निपटने में विफल रहे महासंघों के खिलाफ कोई आंतरिक लेखा परीक्षा या जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री  
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) : खेलों में आयु धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 'खेलों में आयु धोखाधड़ी के विरुद्ध राष्ट्रीय संहिता' (एनसीएएफएस) के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हैं।

एनसीएएफएस 2010 के तहत, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) जैसे संबंधित खेल निकायों को पंजीकरण या किसी नए खिलाड़ी को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देते समय आयु स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की चिकित्सीय जांच करानी होती है तथा उन्हें पहचान पत्र जारी करना होता है।

एनसीएएफएस 2010 के अनुसार, साई किसी एथलीट को अपनी खेल संवर्धन स्कीमों में शामिल करने से पहले आयु सत्यापन परीक्षण करता है। इसी तरह, एनएसएफ को एनसीएएफएस 2010 के अनुसार आयु सत्यापन परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मंत्रालय आयु धोखाधड़ी की घटनाओं से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

\*\*\*\*